

२२[॥]
२२

अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई।
पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक २४/११/२२
को पेश हो।

२४[॥]
२२

अधिवक्तागण उपस्थित। निर्णय अलग
से लिखवाया जाकर सुनाया गया।
वादिया का वादपत्र स्वीकार व प्रतिवादी
संख्या २ व ३ का काउन्टर क्लेम खारिज
किया जाता है। पर्या डिक्री इस आशय
का जारी हो। पर्या डिक्री की एक प्रति
तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनाथ
प्रेषित हो। पत्रावली निर्णय लेकर नम्बर
से कम होकर वापिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजकोट)
श्री करणपुर